कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल
(शाखा-भू-प्रबंध)
सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड़ नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0 - 462003

क्रमांक/ F-1/FP/MP/MIN/26356/2017/10-11/ 149 भोपाल, दिनांक 12-2-26

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- वनमण्डल, पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नारदेव विशाला के कक्ष क्रमांक 454 के रकबा 14.00 हेक्टेयर वनभूमि में भारत खुली खदान फेस-2 कोयला उत्खनन हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/26356/2017

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-112/2006-FC Vol. (E-171036) दिनांक 03-02-2026

--0--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी संबंधित वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण में प्रभावित वनभूमि रकबा 14.00 हेक्टेयर के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगने बिगड़े वन क्षेत्र की योजना राशि रू. 12964798.00 की तैयार की गई थी, जिसमें पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत राशि रू. 1296480.00 शामिल की जाकर कुल राशि रू. 14261000.00 की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 24.03.2020 से जारी की जाकर परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई थी।

वर्तमान में भारत सरकार के सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक 24.03.2025 से अधिरोपित शर्तों के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्तमान मजदूरी दर से तैयार की जाकर राशि रू. 13885489.00 की तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की गई है। उक्त योजना की राशि रू. 13885489.00 में 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि शामिल नहीं की गई है, किन्तु आदेश की शर्त क्रमांक-1 में स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि पृथक से वसूल की जावे, इस हेतु पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 1388548.00 एवं शर्त क्रमांक-13 में 100 मीटर परिधि में गेप प्लांटिंग प्रावधानित 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रू. 697575.00 कुल राशि रू. 2086124.00 (बीस लाख छियासी हजार एक सौ चौबीस) को कोषालय के माध्यम से राज्य मद मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष 0406 वानिकी एवं वन्यजीवन लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियां में दिनांक 18.11.2025 से जमा किया गया है, चालान की प्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में रोपण योजना की राशि रू. 13885489.00 की राशि कैम्पा मद में तथा उक्त राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि राज्य शासन के राजस्व मद में जमा कराई जा चुकी है। इस प्रकार आवेदक संस्थान से रोपण योजना की निर्धारित समस्त राशि जमा कराई जा चुकी है। शेष अतिरिक्त राशि जमा कराई जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार जानकारी प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की अंतिम औपचारिक अनुमति जारी करने का कष्ट करे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

12/02/26

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक/F-1/FP/MP/MIN/26356/2017/10-11/150 भोपाल, दिनांक 12-2-26

प्रतिलिपि-

1. मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, पश्चिम छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
3. मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र, पोस्ट डुंगरिया, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/तकनीकी/2025/ 234 छिन्दवाड़ा दिनांक 10/2/26

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू–प्रबंध)

वन भवन भोपाल

विषय :– वनमंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नारदेव विशाला के कक्ष क्रमांक पी 454 के रकबा 14.00 हे0 वनभूमि में भारत खुली खदान फेस–2 कोयला उत्खनन हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्डस लिमि का व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/26356/2017

संदर्भ :– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02.02.2026

2. आपका पत्र क्रमांक F-1/FP/MP/MIN/26356/2017/10-11/133 दिनांक 05.02.2025

–※※※–

विषयांकित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नारदेव विशाला के कक्ष क्रमांक आर एफ 454 (वनविकास निगम को हस्ता.) के रकबा 14.00 हे0 वनभूमि में भारत खुली खदान फेस–2 कोयला उत्खनन भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.03.2025 से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई हैं।

प्रकरण में प्रभावित वन भूमि रकबा 14.00 हे0 के दुगने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 28.00 हे0 की वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना राशि रु. 12964798.00 की तैयार की गई थी जिसमें पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रु. 12,96,480.00 शामिल की जाकर कुल राशि रु. 1,42,61,000.00 की तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 24 दिनांक 24.03.2020 से जारी किया जाकर परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया था।

वर्तमान में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.03.2025 से सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 (b) के पालन हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्तमान मजदूरी दर से लिया जाये इस हेतु प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि रू. 1,38,85,489.00 की तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 66 दिनांक 23.05.2025 से जारी की गई थी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन के पत्र क्रमांक F-13/स्थाप्ना/2024/10–11/6104 दिनांक 24.12.2024 से प्राप्त निर्देश के अनुसार वै.वृ.रो.योजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि गोश्वारा में सम्मिलित न करते हुये तकनीकी स्वीकृति में लेख किया जावे कि पर्यवेक्षण शुल्क की राशि पृथक से ली जावेगी।

आदेश क्रमांक 66 दिनांक 23.05.2025 से जारी की गई तकनीकी स्वीकृति में निर्धारित की गई राशि रु. 1,38,85,489.00 में पर्यवेक्षण शुल्क शामिल नहीं किया गया था। किंतु आदेश की शर्त क्रमांक 1 में स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि पृथक से वसूल की जावें इस हेतु पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रु. 13,88,548.00 का आंकलन किया जाकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2047 दिनांक 13.10.2025 से आवेदक विभाग की ओर मांग पत्र प्रेषित किया गया था।

आवेदक विभाग द्वारा शर्त क्रमांक 2(a) वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रूपये 13,88,549.00 एवं शर्त क्रमांक 13 में 100 मी0 परिधि में गैप प्लांटिंग प्रावधानित 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रूपये 6,97,575.00 कुल राशि रूपये 20,86,124.00 (बीस लाख छियासी हजार एक सौ चौबीस) को कोषालय के माध्यम से राजस्व मद मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष 0406 वानिकी ओर वन्य जीवन लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियॉ में दिनांक 18.11.2025 से जमा किया गया है चालान की छायाप्रति संलग्न है।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/ तकनीकी/2025/ 235 छिंदवाड़ा, दिनांक/ 10/2/26

प्रतिलिपि :— 1. वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. महाप्रबंधक वे.को.फी.लिमि. कन्हान क्षेत्र डुंगरिया की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

Dfo_West//Shoaib//cover 2026

File No.: 8-112/2006-FCVol. (E- 171036)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jor Bagh Road
New Delhi- 110003
Dated: 02-02-2026

To

The Principal Secretary (Forests)
Government of Madhya Pradesh
Bhopal.

Subject: Diversion of 14.00 ha Reserved Forest land in Compartment No. 454 of Junnadev Vishala Village of Jamai Range for Bharat Open Cast Coal Mine Phase-II in favour of M/s Western Coalfield Limited in Chhindwara District, Madhya Pradesh State (Online Proposal No. FP/MP/MIN/26356/2017) - reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Government of Madhya Pradesh's letter dated 06.01.2026 on the above mentioned subject and to say that after examination of the compliance report submitted by the State Government, the following shortcomings has been revealed:

i. The Divisional Forest Officer, Chhindwara, had raised a demand note dated 13.10.2025 for an amount of ₹13,885,489/- towards Compensatory Afforestation (CA), which has been found paid on the PARIVESH portal. However, the Compensatory Afforestation Scheme dated 24.03.2020 uploaded on the PARIVESH portal indicates an amount of ₹14,261,000/-. In view of the discrepancy, the State Government is requested to clarify the matter and to deposit the balance amount in the National–CAMPA.

2 . Accordingly, the State Government is requested to submit the information/clarification as indicated above, for further consideration of the proposal in the Ministry

Digitally signed by Prashant Rajagopal
Date: 03-02-2026 14:03:52

Yours sincerely,
Sd/-
(Prashant Rajagopal)
Deputy Inspector General of Forests

Copy to:-

1. PCCF (HoFF), Department of Forest, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. DDGF (Central), MoEF&CC's Regional Office, at Bhopal.
3. APCCF–cum-Nodal Officer, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi for uploading.

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	-
Depositor/Dealer Name	AGM OFFICE KANHAN AREA
Address	CHHINDWARA, AGM OFFICE KANHAN AREA, CHHINDWARA, Chhindwara, Madhya Pradesh - 480551
District selected for Payment	Chhindwara
Unique Registration Number (URN)	MPTURN181120250000990
Department and Office Name	Common Challan Entry, Forest
Challan Payment Period	2025-2026

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT040618112025000033	2025-11-18 to 2025-11-25	0406-01-800-0229 (Other Receipts-Miscellaneous receipts)	SBIN0006159040618112025492664	051/9999999/0406/11/25/002489	2086124.00

Total Amount(in figures)	20,86,124.00
Total Amount(in words)	Twenty Lakh Eighty Six Thousand One Hundred Twenty Four Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CK00MBJGW0
Scroll No	49261
Scroll Date	18/11/2025
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	18/11/2025 11:33:03
Transaction Status	Success

Sr. MANAGER (M)
Ghorawari Colliery

Scanned with OKEN Scanner

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.

(•) **Proposals received on or after 15th July 2014** ( ) **All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region : Bhopal **Select State :** Madhya Pradesh

Select User Agency : Select

Payment Status : (•) **Paid** ( ) **Unpaid** ( ) **All**

Bank Name : --Select All-- **Mode of Payment :** --Select All--

Transaction Date (From) : **Transaction Date (To) :**

Enter value for Search : 26356

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/MIN/26356/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/26356/2017) BHARAT OPEN CAST PATCH PHASE II	MIN263562017131	24 Mar 2025	**CA:** 13885489/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 17200260/- , **100mtr Gap Planting :** 6975753/- **Total :** 38061502/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :17 Nov 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :17 Nov 2025 **Transaction Date** :18 Nov 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/14112025181647846l_FPMPMIN263562017_User_Fund_Demanded_3791I.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=MIN263562017131)

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in
(HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)
(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Annexure-I

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश – 480001

Email-ccfchhindwara@mpforest.org Tel./Fax No.07162-245470

:– तकनीकी स्वीकृति आदेश–:

क्रमांक / 29 छिंदवाड़ा,दिनांक / 24.03.2020

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621 / 03 / नियम / चार, दिनांक 3–9–2003 एवं बुक ऑफ फायनेन्सियल पावर्स 1995– भाग –2 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तावित निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्रा का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम एवं रकबा	कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलित राशि
1	2	3	4	5	6
पश्चिम छिंदवाड़ा	जामई	भारत खुली खदान 14.00 हे.	वैकल्पिक वृक्षारोपण रकबा– 28.00हे.	बीट खजरी कक्ष कमांक आर.एफ. 475	रूपये 14261000 / (एक करोड़ ब्यालीस लाख इकसठ हजार मात्र)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन है :–

(1) वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत करायें।

(2) इस स्वीकृति के अधीन वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे।

(3) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।

(4) कार्य का संपादन तकनीकि स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्रा मे दर्शित तकनीकि मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

(5) वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्रा प्राप्त कर ही कार्य किया जावे।

(6) वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावे।

(7) कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।

(8) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

(के.के. गुरवानी)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
24/3/20 छिंदवाड़ा वनवृत्त

पृ0क्रमांक / मावि / 1276 छिंदवाड़ा,दिनांक / 24/3/20

प्रतिलिपिः– वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा की ओर आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :– प्राक्कलन ।

(के.के. गुरवानी)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेनवनसंरक्षक
24/3/20 छिंदवाड़ा वनवृत्त

TS Bharat mine 14.00 ha-wcl

कक्ष 475 रकवा 28.00 हे.

गोश्वारा,

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	प्रस्तावित राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि
प्रथम	14062	4302890	1	14062	4302890
द्वितीय	9243	2828356	1.06	9798	2998058
तृतीय	2849	871907	1.1236	3202	979674
चतुर्थ	2395	741097	1.191	2852	882647
पंचम	945	304280	1.2625	1194	384154
षष्ठम	439	124746	1.3382	588	166935
सप्तम	388	118852	1.4185	551	168591
अष्टम	382	168591	1.504	574	253561
नवम	408	323591	1.594	650	515804
दशम	388	319711	1.69	656	540311
ग्यारवा	388	331596	1.79	695	593557
कुल योग	31888	10435616		34821	11786180
आस्थामूलक कार्य (राशि का 5 प्रतिशत) कुल योग राशि का				5%	589309
मानव संसाधन विकास कार्य (राशि का 1 प्रतिशत) कुल योग राशि का				1%	117862
मूल्यांकन /अनुश्रवण राशि (राशि का 4 प्रतिशत) कुल योग राशि का				4%	471447
			TOTAL		12964798
पर्यवेक्षण शुल्क कुल राशि का 10 प्रतिशत				10%	1296480
				महायोग :–	14261278

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

उपवनमंडलाधिकारी
परासिया उपवनमंडल सा.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
जामई वनपरिक्षेत्र सा.

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश – 480001
Email-ccfchhindwara@mpforest.org Tel./Fax No.07162-245470

:– तकनीकी स्वीकृति आदेश–:

क्रमांक / 8 छिंदवाड़ा,दिनांक / 23.05.2025

इस कार्यालय के आदेश कमांक 29 दिनांक 24.03.2020 से जारी तकनीकी स्वीकृति को निरस्त करते हुये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 नियम 2022 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रकरण मे व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के बदले बिगड़े वनों मे रोपण योजना की मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक एफ1194/191/2022/नियम/चार, दिनांक 14.07.2022(बुक ऑफ फायनेन्सियल पावर्स 1995– भाग –2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारो मे संशोधन बाबद) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत संशोधित तकनीकी स्वीकृति निम्न उल्लेखित नियमों/शर्तो के तहत प्रदान की जाती है :–

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना/कार्य का नाम	कार्यस्थल का नाम/कक्ष कमांक	रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या	कार्य का रकबा (हे.)रोपण क्षेत्र	प्रोजेक्ट की अवधि	प्राक्कलित राशि (लाख मे)
पश्चिम छिंदवाड़ा	जामई	भारत खुली खदान 14.00 हे. डब्ल्यू सी एल कन्हान क्षेत्र डुंगरिया हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 नियम 2022 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव	आर एफ 475 कुल रकबा 28.00 हे.	1000 पौधे प्रति हे.	28.00 हे.	11 वर्ष	138.85 (एक करोड़ अड़तीस लाख पच्चासी हजार रूपये)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ लागू होगी :–

(1) उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि पृथक से वसूल की जावे
(2) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराऐं। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावे।
(3) कार्य का संपादन तकनीकि स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र मे दर्शित तकनीकि मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
(4) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।
(5) यह केवल तकनीकि स्वीकृति मात्र है प्रशासकीय स्वीकृति एवं बजट उपलब्ध होने पर ही कार्य करायेंगे।
(6) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट मे उल्लेखित कार्यों के परिवर्तन की दशा मे पुनरीक्षित तकनीकि स्वीकृति जारी करायेंगे।
(7) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेंगे।
(8) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरों निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत ही कराये जायें। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो स्वीकृति हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
(9) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हो।
(10) सामग्री कय करते समय म.प्र. भंडार कय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7,9,10 एवं 11 के भंडार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भंडार कय नियमों के अंतर्गत सनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग नियम अथवा भारत सरकार के गवर्मेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही कय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 1.00 लाख के अंदर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे कय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावे।
(11) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी कय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। कय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
(12) प्रस्तावित कार्य का वनमंडलाधिकारी/उपवनमंडलाधिकारी/वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमंडलाधिकारी, 50% उपवनमंडलाधिकारी एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

ts ce 14 ha wcl

Scanned with OKEN Scanner

(13) शासन तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकि निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी।
(14) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृति की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
(15) वनमंडलाधिकारी सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व मे किसी योजना के तहत कार्य तो नही कराया गया है।
(16) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।
(17) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावें।
(18) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, MIS पोर्टल, एवं Plantation Monitoring System मे समय–समय पर की जावे।
(19) वनमंडलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
(20) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुये कार्य किया जावे।
(21) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो को मान्य किया जायेगा।
(22) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी को भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
(23) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06.20 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करें।
(24) Basline data तैयार किया जाकर कार्य करायें।
(25) वृक्षारोपण स्थल का फेंसिंग से क्लोजर पूर्ण होना चाहिये।
(26) म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र कमांक एफ 2544/2019/10–2 भोपाल दिनांक 29.05.23 से लागू विभागीय अधोसंरचना निर्माण कार्यों मे निविदा प्रकिया का पालन किया जायेगा।
(27) म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र कमांक एफ 25–36/2005/10–3/2002 भोपाल दिनांक 09.10.2023 से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क की राशी जमा करने के संबंध मे निर्देश का पालन सुनिश्चित करेंगे।
(28) प्रोजेक्ट मे प्रस्तावित अन्य व्यय से केवल वानिकी से संबंधित हि कार्य मान्य होंगे। स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर मशनरी संबंधी व्यय अमान्य होंगे।

कार्यो के कियान्वयन मे उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु यदि कोई भ्रांति हो तो इस कार्यालय/मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिये जायें।

उपरोक्त निर्देशों के पालन मे विचलन होने की दशा मे तकनीकि स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

23/5

(मधु व्ही.राज)
वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त
23/5/25

उ. मं. अ.
पश्चिम छि. (सा.)

पृ0क्रमांक/तकनीकी/2380 छिंदवाड़ा दिनांक 26 MAY 2025
प्रतिलिपिः–
वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा की ओर आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना/कार्य का नाम	कार्यस्थल का नाम/कक्ष कमांक	रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या	कार्य का रकबा (हे.)रोपण क्षेत्र	प्रोजेक्ट की अवधि	प्राक्कलित राशि (लाख में)
पश्चिम छिंदवाड़ा	जामई	भारत खुली खदान 14.00 हे.डब्ल्यू सी एल कन्हान क्षेत्र डुंगरिया हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 नियम 2022 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव	आर एफ 475 कुल रकबा 28 00 हे	1000 पौधे प्रति हे.	28.00 हे.	11 वर्ष	138.85 (एक करोड़ अड़तीस लाख पच्चासी हजार रूपये)

वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त
23/5/25

कार्यालय पश्चिम वनमण्डल
1260
27/5/25
(म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

कमांक/तकनीकी/2025/ 2047 छिन्दवाड़ा दिनांक 13/10/25

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक

वे.को.फी.लिमि.

कन्हान क्षेत्र डुंगरिया

विषय :– वनमंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नारदेव विशाला के कक्ष कमांक पी 454 के रकबा 14.00 हे0 वनभूमि में भारत खुली खदान फेस–2 कोयला उत्खनन हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्डस लिमि का व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव कमांकFP/MP/MIN/26356/2017

संदर्भ :– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.03.2025

2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क. एफ–1/FP/MP/MIN/26356/2017/1025 दिनांक 24.03.2025

3. इस कार्यालय के पत्र कमांक 603 दिनांक 02.04.2025 एवं 1159 दिनांक 26.05.2025 एवं 1203 दिनांक 03.07.2025 एवं 1824 दिनांक 07.08.2025 एवं 1632 दिनांक 25.08.2025 एवं 1897 दिनांक 23.09.2025 एवं 1952 दि. 29.09.2025

विषयांकित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नारदेव विशाला के कक्ष कमांक आर एफ 454 (वनविकास निगम को हस्ता.) के रकबा 14.00 हे0 वनभूमि में भारत खुली खदान फेस–2 कोयला उत्खनन हेतु प्रकरण ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.03.2025 से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई हैं। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक 1 से 31 का पालन आवेदक विभाग द्वारा किया जाना हैं एवं शर्तवार वचनपत्र के साथ शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना हैं।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक III a, एवं b के पालन हेतु नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि का निर्धारण भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.01.2022 के अनुसार वनों का Eco-Class –III के अनुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि प्रति हे0 12,28,590.00 लाख रू. के आधार पर किया गया है।

व्यपवर्तित वनभूमि वन कक्ष कमांक आर.एफ. 454 के रकबा 14.00 हे. खुली खदान फेस–2 में भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि प्रति हेक्टेयर राशि रू. 12,28,590.00 लाख की दर से राशि रु. 1,72,00,260.00 का आंकलन

Ok

किया गया है। शर्त कमाक 2 (a) वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रू. 1,38,85,489.00 एवं शर्त कमांक 13 माईन एरिया के 100 मी. परिधि में गैप प्लांटिग राशि रू. 69,75,753.00 का निर्धारण किया गया हैं।

निर्धारित की गई राशियों को ई– पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कैम्पा मद के खाता में जमा कराया जाना है।

राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क.	मद	रकबा (हेक्टयर में)	घनत्व (Density)	इको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रेजेन्ट वेल्यु	14.00	0.4	III	1,72,002,60.00	
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण शर्त कमांक 2 (a)	28	-	-	1,38,85,489.00	
3	भारत खुली खदान रकवा 14 हे. उपरी तल माईन के 100 मी. परिधि में गैप प्लांटिग शर्त कमांक 13	14	-	-	69,75,753.00	
	वैकल्पिक वृक्षारोपण की पर्यवेक्षण शुल्क की राशि शर्त कमांक 2 (a)				13,88,549.00	राशि कोषालय के माध्यम से राजस्व मद में जमा किया जावें।
	उपरी तल माईन के 100 मी. परिधि में गैप प्लांटिग पर्यवेक्षण शुल्क शर्त कमांक 13				6,97,575.00	राशि कोषालय के माध्यम से राजस्व मद में जमा किया जावें।

अतः नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि रु. 1,72,00,260.00 (एक करोड़ बहत्तर लाख दो सौ साठ रूपये), शर्त कमांक 2(a) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रू. 1,38,85,489.00 (एक करोड़ अड़तीस लाख पच्चासी हजार चार सौ नवासी) एवं शर्त कमांक 13 के पालन में माईन के 100 मी. परिधि में गैप प्लांटिग की राशि रू. 69,75,753.00 (उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार सात सौ तिरेपन) कुल राशि रू. 3,80,61,502.00 (तीन करोड़ अस्सी लाख इकसठ हजार पांच सौ दो) को ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद

में जमा कराते हुये 72 घंटे बाद बैक का स्टेटमेंट , यू.टी.आर. नंबर सहित चालान की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

शर्त कमांक 2(a)10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रूपये 13,88,549.00 एवं 13 में प्रावधानित 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रूपये 6,97,575.00 कुल राशि रूपये 20,86,124.00 (बीस लाख छियासी हजार एक सौ चौबीस) को कोषालय के माध्यम से राजस्व मद मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष 0406 वानिकी ओर वन्य जीवन लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियॉ में जमा होने के उपरांत चालान जिला कोषालय द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक X(a) ,(b), (c) के पालन में लीज एरिया के सेफटी जोन के 7.5 मी0 परिधि में आरसीसी पिलर एवं फेंसिंग कार्य साथ ही सेफटी जोन एरिया को हरा–भरा करने हेतु उपवनमंडलाधिकारी परासिया के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर शर्तो का पालन करना सुनिश्चित करें। उक्त अधिरोपित शर्त अनुसार कार्य वन विभाग की निगरानी में किया जायेगा।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक I से XXXI की पूर्ति होने के उपरांत समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र एवं अभिलेख के इस कार्यालय में प्रस्तुत करें , ताकि अंतिम स्वीकृति हेतु शर्तो का पालन प्रतिवेदन शासन की ओर प्रेषित किया जा सकें।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/तकनीकी/2025/2048
छिंदवाड़ा, दिनांक/ 13 /10/25

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

3. संभागीय प्रबंधक छिन्दवाड़ा परियोजना मंडल वनविकास छिन्वाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4. उपवनमंडलाधिकारी परासिया सा.उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक X(a) ,(b),(c) के पालन मे लीज एरिया के सेफटी जोन के 7.5 मी0 परिधि में आरसीसी पिलर एवं फेंसिंग कार्य साथ ही सेफटी जोन एरिया को हरा–भरा करने हेतु आपके मार्गदर्शन में वे.को.फि. लिमि. कन्हान क्षेत्र डुंगरिया को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाना सुनिश्चित करें, एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन आवेदक विभाग से कराकर शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग द्वारा इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

5. वनपरिक्षेत्राधिकारी जामई सा. वनपरिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

Dfo_West//Shoaib//cover 2025